महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

e-mail : f.o.msdsu.azamgarh@gmail.com

वित्त समिति की द्वितीय (02/2022) बैठक का कार्यवृत्त :

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 03.11.2022 मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ स्थित कैम्प कार्यालय पर पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्रं0	अधिकारी का नाम	पद
01.	प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा कुलपति	अध्यक्ष
02.	श्री विजय कुमार सिंह, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त विभाग उ0प्र0 शासन के पत्रांक ई–11–130/दस–2022, दिनांक 18, अगस्त 2022
03.	श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी	सदस्य प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग पत्रांक: 4/2019/75 सत्तर–4–2019–1091/2016
04.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद कौशल, कुलसचिव	सदस्य

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

मद संख्या 1: वित्त समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का सम्पुष्टीकरण--

निर्णय : पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। समुचित विचारोपरान्त पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों की पुष्टी की गयी।

मद संख्या 2: संशोधित बजट 2022–23 एवं अनुमानित बजट 2023–24 के पारित कराये जाने पर विचार।

वित्तीय वर्ष 2021–22 का वास्तविक बजट, वित्तीय वर्ष 2022–23 का संशोधित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुमानित बजट की प्रति संलग्न है।

निर्णय : समुचित विचारोपरान्त प्रस्तावित किये गये बजट का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी।

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मद संख्या 3: महाविद्यालयों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु लिए जाने वाले शुल्क पर विचार।

शासनादेश संख्या– 2029 / सत्तर–1–2022–16(50) / 2021टी0सी0, दिनांक 11.07.2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों से स्नातक पाठ्यक्रमों शुल्क प्राप्ति हेतु पत्रांक– 50 / वि0अ0 / 2022, दिनांक 05.08.2022 निर्गत किया जा चुका है। स्नातकोत्तर स्तर पर शुल्क निर्धारण किया जाना है।

निर्णय : समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्नातक पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों की दरों पर सहमति प्रदान की गयी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2022–23 में वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में निर्धारित दर से ही शुल्क लिए जाने पर सहमति प्रदान की गयी। तदानुसार स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत / अनुमोदित शुल्क का विवरण संलग्न है।

मद संख्या 4 : आतिथ्य सत्कार पर होने वाले व्यय के संबंध में विचार।

निर्णय : समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में कुलपति, कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी हेतु आतिथ्य सत्कार पर प्रतिमाह देय होने वाले व्यय की सीमान्तर्गत महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के कुलपति, कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी को आतिथ्य सत्कार पर प्रतिमाह अधिकतम व्यय हेतु निम्न विवरणनुसार सहमति प्रदान की गई।

अ. कुलपति कार्यालय	– 10000 / –
ब. वित्त अधिकारी कार्यालय	– 5000 / –
स. कुलसचिव	– 5000 / –
द. परीक्षा नियंत्रक	– 5000 / –

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

e-mail : f.o.msdsu.azamgarh@gmail.com

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर का संगत अभिलेख संलग्न है।

मद संख्या 5 : विश्वविद्यालय प्रवेश पंजीकरण शुल्क प्रति छात्र रू0 200/— लिए जाने के संबंध में विचार।

सूच्य है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 459/पी0ए0/2022, दिनांक 23.08.2022 द्वारा रू 200/— प्रति छात्र शुल्क लिया जा रहा है। पत्र की प्रति संलग्न।

निर्णय : समुचित विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के पंजीकरण शुल्क प्रति छात्र रू0 200/— किये जाने के संबंध में सहमति प्रदान की गयी।

बैठक के अन्त में वित्त अधिकारी द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(विजय कुमार सिंह)
वित्त अधिकारी/सदस्य
वित्त समिति

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

(प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner